फैक्स/स्पीड पोस्ट

पत्र सं०-ओ०/मं०नि०यो०-09/16............/

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

चन्द्रशेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण,
संगठन कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी

पटना, दिनांक-..................................

विषयः- बिहार राज्य मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अन्तर्गत योजना का कियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-1393 दिनांक-17.02.2017 के आलोक में ₹30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र) का आवंटन।

महाशय,

चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-677 दिनांक-17.02.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी के कार्यपालक अभियंता को कॉलम-5 में अंकित राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र० स०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल के नाम	कार्य प्रमंडल मुख्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व में आवंटित राशि (रू० लाख में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान आवंटित राशि (रू० लाख में)	कुल आवंटित राशि (रू० लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी	पूर्णियाँ	00.00	30.00	30.00
कुल आवंटन - ₹30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)					

2.योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0118-बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना, विपत्र कोड- P223560200011 8 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित योजना उद्व्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०-4989 दिनांक-16.05.2013 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

P.T.O. ...

11. प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के पत्रांक-448 दिनांक-26.02.2003 के अनुसार इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गयी राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-
(चन्द्रशेखर सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- .... पटना, दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

निबंधित फैक्स

ज्ञापांकः- .... पटना, दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- .... पटना, दिनांक - ....

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- 1398 पटना, दिनांक - 17-2-17

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2017
सरकार के अपर सचिव